उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

अधिहरण वाद संख्या–27/2019–20
जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो (राज्य)
–बनाम्–
मेसर्स महामाया कोल एण्ड कोक ट्रेडर्स कम्पनी
–::आदेश::–

12.10.2020 अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख एवं उसमें संलग्न कागजातों का अवलोकन किया गया। जिला खनन पदाधिकरी, बोकारो के अधियाचना सं0–21/2019–20 दिनांक 20.11.2019 के आलोक में यह वाद Rule 14 of Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storge) Rules, 2017 के अन्तर्गत दायर किया गया है।

उक्त के क्रम में राज्य सरकार (प्रथम पक्ष) की ओर से विज्ञ सरकारी अधिवक्ता एवं विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

वाद का सार यह है कि दुग्दा थाना कांड सं0–30/2019, दिनांक–07.06.2019, धारा–414/379 भा0द0वि0 एवं 13 खान एवं खनिज अधिनियम के अन्तर्गत अवैध रुप से भण्डारित 440 टन कोयला/कोक को बिना वैध डीलर्स निबधन के कोयला खनिज का भण्डारण करने के आरोप में मौजा जाहरागढ़ा स्थित महामाया कोल एण्ड कोक ट्रेडर्स कम्पनी प्रो0 श्री प्रदीप कुमार पाण्डेय पिता श्री नित्यानन्द पाण्डेय, सा0–हरदोवा, पो0 कुरूम्बा, थाना–दुग्दा, जिला बोकारो के विरूद्ध दर्ज किया गया है। फलस्वरूप The Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 के तहत राज्यसात की कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

राज्य सरकार की ओर से विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा दलील दिया गया कि मेसर्स महामाया कोल एण्ड कोक ट्रेडर्स कम्पनी के प्रो0 श्री प्रदीप कुमार पाण्डेय पिता नित्यानंद पाण्डेय, सा0–हरधोआ, थाना–दुग्दा जिला बोकारो के द्वारा Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storge) Rules, 2017 के अनुसार दिये गये डीलर लाईसेंस में उल्लेखित नियम एवं शर्तो का अनुपालन नहीं किया गया है। जैसे डीलर द्वारा कोयले का क्रय Valid and legal sources से नहीं किया गया है। कोक बनाने हेतु उपयोग किये गये कच्चे कोयला का क्रय से संबंधित परिवहन चालान कुल 711.53 टन का पाया गया, किन्तु किसी भी परिवहन चलान में Destination में महामाया कोल एण्ड कोक ट्रेडर्स कम्पनी का भण्डारण स्थल अंकित नहीं है। कोक बनाने हेतु उपयोग किये गये कच्चा कोयले का क्रय से संबंधित कुल 725.52 टन का परिवहन

चालान नहीं पाया गया सिर्फ Tax Invoice एवं E-Bill पाया गया, जिससे स्पष्ट है कि बिना परिवहन चालान का कोयले का क्रय किया गया है जो Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storge) Rules, 2017 का उलघंन है। उनके द्वारा यह भी दलील दिया गया कि खनन निरीक्षक के जाँच में पाया गया कि मेसर्स महामाया कोल एण्ड कोक ट्रेडर्स कम्पनी द्वारा Steam Coal, R.O.M Reject coal band लगभग 486.335 टन कोयला बिना प्रिपेड परिवहन चालान के बेचा गया है। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि कोक बनाने हेतु चिमनी का उपयोग नहीं किया जाता है। भण्डारण स्थल पर लगभग 400 टन कच्चा कोयला एवं कोक लगभग 40 टन का भण्डार पाया गया। उपरोक्त वर्णित परिस्थिति में विपक्षी को किसी प्रकार की छुट नहीं दी जा सकती है।

विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता के द्वारा दलील दिया गया कि मेसर्स महामाया कोल एण्ड कोक ट्रेडर्स कम्पनी के प्रो0 श्री प्रदीप कुमार पाण्डेय पिता नित्यानंद पाण्डेय, सा0–हरधोआ, थाना–दुग्दा जिला बोकारो वैध अनुज्ञप्तिधारी है जो नियमानुसार कोयले का भण्डारण कर विधिवत रूप से अपना व्यवसाय का संचालन करते है। उनके अधिवक्ता के द्वारा यह भी दलील दिया गया कि सी0सी0एल0 लिमिटेड के पत्र सं0–PO/bvp-SWG/19/319 दिनांक–28.12.2019 से प्रेषित प्रतिवेदन जो सीधे सहायक अवर निरीक्षक, दुग्दा थाना को संबोधित है में उल्लेख किया गया है कि ट्रक सं0–JH10AD-8143 एवं JH10AD-7580 ''उपरोक्त ट्रकों की कागजात जाँच उपरान्त सही पाया गया ये गाड़ियॉ गोविन्दपुर फेज–।। से कोयला लेकर फुसरो बोकारो, झारखण्ड के लिये निकला है'' जिसका विवरण निम्नलिखित है–

Date	Truck No.	Invoice/Mining No.	Weight	डी0ओ0 धारक
14.03.2019	JHAD-7580	080318C112B02406/C21 901411	26.150 MT	रिना सिंह
24.03.2019	JHAD-8143	080318C112B02612/C21 901411	25.000 MT	विनोद डोमेस्टीक फ्यूल

उनके अधिवक्ता के द्वारा यह भी कहा गया कि प्रोजेक्ट ऑफिसर, सी0सी0एल0 कारो प्रोजेक्ट से निर्गत पत्र सं0–PO/Kero ocp/19-20 Truck Case/9292 bvp-SWG/19/319 दिनांक–04.01.2020 जो एरिया सेल्स मैनेजर, बोकारो करगली एरिया को प्रेषित पत्र जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी के द्वारा किसी भी तरह का अवैध कोयले का भंडारण नहीं किया गया है और न ही उनके द्वारा Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storge) Rules,

12.10.20

2017 के अनुसार दिये गये डीलर लाईसेंस में उल्लेखित नियम एवं शर्तो का उलधंन किया गया है।

दोनो पक्षों की दलील एवं अभिलेख में संधारित कागजातों के अध्ययन के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि मेसर्स महामाया कोल एण्ड कोक ट्रेडर्स कम्पनी के प्रो0 श्री प्रदीप कुमार पाण्डेय पिता नित्यानंद पाण्डेय, सा0–हरधोआ, थाना–दुग्दा जिला बोकारो वैध अनुज्ञप्तिधारी है। उनके द्वारा दाखिल दस्तावेज की छायाप्रति के अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि नियमानुसार कोयले एवं कोक का भण्डारण किया गया है।

वर्णित परिस्थिति में जिला खनन पदाधिकरी, बोकारो के अधियाचना सं0–21/2019–20 दिनांक–20.11.2019 को खारिज करते हुए विपक्षी के द्वारा दाखिल लिखित बहस को स्वीकृत किया जाता है। जिला खनन पदाधिकरी, बोकारो को आदेश दिया जाता है कि दस्तावेज के सत्यापन के उपरान्त भण्डारण स्थल से जप्त लगभग 400 टन कच्चा कोयला एवं लगभग 40 टन कोक को नियमानुसार विमुक्ति हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाय। उक्त विवेचन के साथ ही वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

तदनुसार जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी।
बोकारो।

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,
बोकारो।

Digitally signed by VIJAYA NARAYANRAO JADHAV
Date: 2025.01.24 20:25:45 +05:30
Location: 192.168.91.234